INDIA NON JUDICIAL

५000रु.   Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये   FIVE THOUSAND RUPEES

5000Rs

** श्री **

मुद्रांक शुल्क रुपये	5,775=00	बाजार मूल्य रुपये	66,000/-
पंजीयन शुल्क रुपये	770=00	=====================	
उपकर शुल्क रुपये	289=00	व्यवहार मूल्य रुपये	66,000/-
अधिक स्टांप रुपये	6=00	=====================	
	----------	भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका	
योग	6,840=00		
	=========	क्रमांक N-68249, 68250, 68248, 64247, 68246 एवं 68245 भाग-1	

-** विक्रय-पत्र **-

1. श्री रामलाल 2. श्री [illegible], 3. श्री मोहनलाल, 4. श्री जगदीशसिंह, 5. श्री [illegible], 6. श्री महावीर पिता श्री [illegible], [illegible] निवासी 25[illegible], [illegible], इन्दौर, [illegible] **विक्रेता**

...854-6851

16 FEB 2000

250

खाँन बेलिम
स्टॉम्प वेन्डर
जिला पंजियक कार्या; इन्दौर

A. K. PATERIYA
Special Judge
(M.P.P.A. Act) INDORE

...म अधिनियम के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क 5715
... निगम अधिनियम के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क ....
पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क 770
उपकर अधिनियम के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क 286
अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क ....
...

योग 6840

उप-पंजीयक इन्दौर (म.प्र.)

// 2 //

श्रीमती लीलाबाई पति श्री नन्दू जी
निवासी 30, गफुर खां की बजरिया,
इन्दौर, मध्यप्रदेश   ×××क्रेता

यह विक्रय पत्र विक्रेता द्वारा स्वेच्छा से क्रेता के पक्ष मे तथा हित मे निम्नानुसार निष्पादित कर पंजीयत कराया जाता है कि:-

1. यह कि, विक्रेता के भूमि स्वामी स्वत्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम ""मुरादपुरा"" तहसील सांवेर जिला इन्दौर, पटवारी हल्का नंबर 20, रा.नि.म.क्र. 02, विकास खण्ड सांवेर मे स्थित है। सदर भूमि की फसलें [illegible] सिंचित है। सदर भूमि के खाते मे से निम्नानुसार भूमि विक्रेता ने क्रेता को विक्रय की है:-

सर्वे नंबर	रकबा हेक्टर	लगान
30/6	0.1[illegible]	0.50
30/5	0.107	0.50
30/4	0.107	[illegible]
30/3	[illegible]	[illegible]
30/2	0.10[illegible]	[illegible]

16 FEB 1990

खाँन बैलिस
स्टाम्प वेण्डर
जिला पंजीयक कार्या; इन्दौर

रामपाल पिता रामदीनजी

द्वारा उप-पंजीयक जिला इन्दौर
उप-पंजीयक के कार्यालय
तारीख ...... 19 FEB 1990
ब.पु./र.प. ......
प्रस्तुत किया गया है।

उप-पंजीयक, इन्दौर (म.प्र.)

रामपाल

धारा 80 (1) के अधीन

रामपाल, रामलाल, मोहनलाल,
भगवानसिंह, छगनलाल, महावीर
पिता रामदीनजी कुशवाह निवासी
250 राजनगर इन्दौर

व्यक्तिगत रूप से जानकर
करते हैं कि तथाकथित
लेख का निष्पादक
और प्रतिफल के

[illegible]

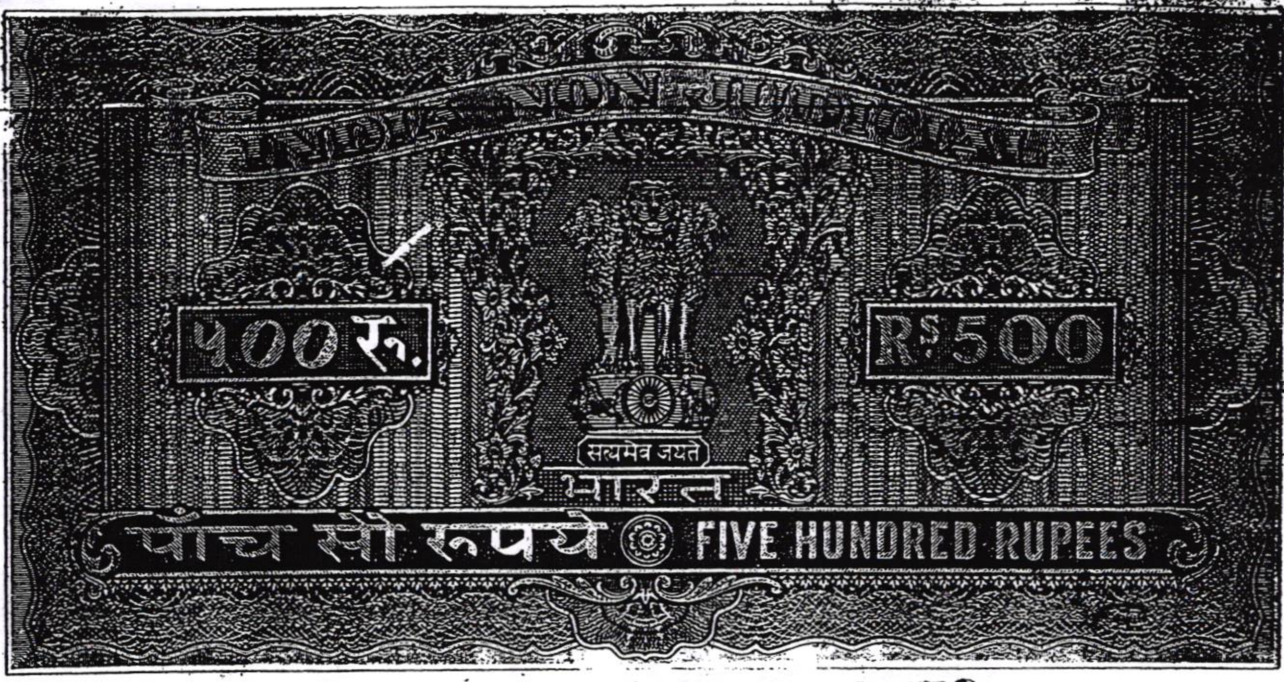

500Rs

30/1	0.106	0.55
----	--------	----
6	0.640	3.32
----	--------	----

2. उपरोक्त वर्णित चतुःसीमा के मध्य की तथा वर्णन की यह भूमि मात्र विक्रेता ने क्रेता को रुपये 66,000/- अक्षरी छाछठ हजार मात्र मात्र में विक्रय की है। तथा प्रतिफल की संपूर्ण धनराशि विक्रेता ने क्रेता से निम्नानुसार रीति से प्राप्त किये:-

रुपये 66,000/- अक्षरी छाछठ हजार मात्र साक्षियों के समक्ष प्राप्त किये, अब प्रतिफल का शेष लेना कुछ भी रहा नहीं है।

योग 66,000/-

===================

3. यह [illegible] विक्रित भूमि [illegible] आधिपत्य विक्रेता ने क्रेता को [illegible] ने इसका अपना आधिपत्य कर लिया है। अब क्रेता इसका उपयोग व उपभोग करने हेतु स्वतंत्र है।

दारासिंह पिता बापूसिंह सिसोदिया भवानीनगर

मेहमुद खॉन बेलिम
स्टॉम्प वेण्डर
जिला पंजियक कार्या; इन्दौर

बंसीलाल पिता किशनलाल 166 रामानन्दनगर

ने आज भूर्वाता निष्पादक/अभिकर्ता के
चिन्हत के विषय में की गई
तारीख 18 FEB 1998

उप-पंजीयक, इन्दौर (वि.अ.)

धारा 80 (1) के अधीन

रामपाल

उपरोक्त निष्पादक/पालक/अभिकर्ता
के संयुक्त
का निधान मेरे समक्ष ता. 17 FEB 1998
199..... को किया गया।

उप-पंजीयक इन्दौर (वि.अ.)

धारा 80 (1) के अधीन

1000.14

रामलाल

उपरोक्त निष्पादक/पालक/अभिकर्ता
के संयुक्त
17 FEB 1998

उप-पंजीयक इन्दौर (वि.अ.)

100Rs.

// 4 //

4. यह कि, विक्रीत भूमि पर जो भी स्वत्व एवं अधिकार विक्रेता व उनके उत्तराधिकारीगणो आदि को प्राप्त थे वह सब इस विलेख के द्वारा क्रेता को प्राप्त होकर क्रेता मे वेष्ठित हो चुके है।

5. यह कि, विक्रीत भूमि पर विक्रय से पूर्व विक्रेता ने कोई भार या बोझा नही किया है। यह दान, बिक्री, गिरवी तथा उदर पोषण आदि के बोझ मे नही है। ओर न ही इसपर शासन का, बेंक का, या सहकारी संस्था आदि का कोई ऋण भार ही है। फिर भी यदि भविष्य मे पाया गया तो उसका समस्त दायित्व विक्रेता पर रहेगा।

6. यह कि, विक्रीत भूमि पर क्रेता द्वारा अपना नाम तहसील व पटवारी आदि के रेकार्ड मे दर्ज करा लिया जावेगा, इस कार्यवाही मे विक्रेता द्वारा क्रेता को सहयोग किया जावेगा।

7. यह कि, विक्रीत भूमि का आज दिनांक तक का समस्त लगान आदि देय होगा उसका भुगतान विक्रेता द्वारा किया जावेगा तथा आज दिनांक के पश्चात क्रेता द्वारा भुगतान किया जावेगा।

मोहनलाल

जागरप्रसाद

बृजलाल

100Rs.

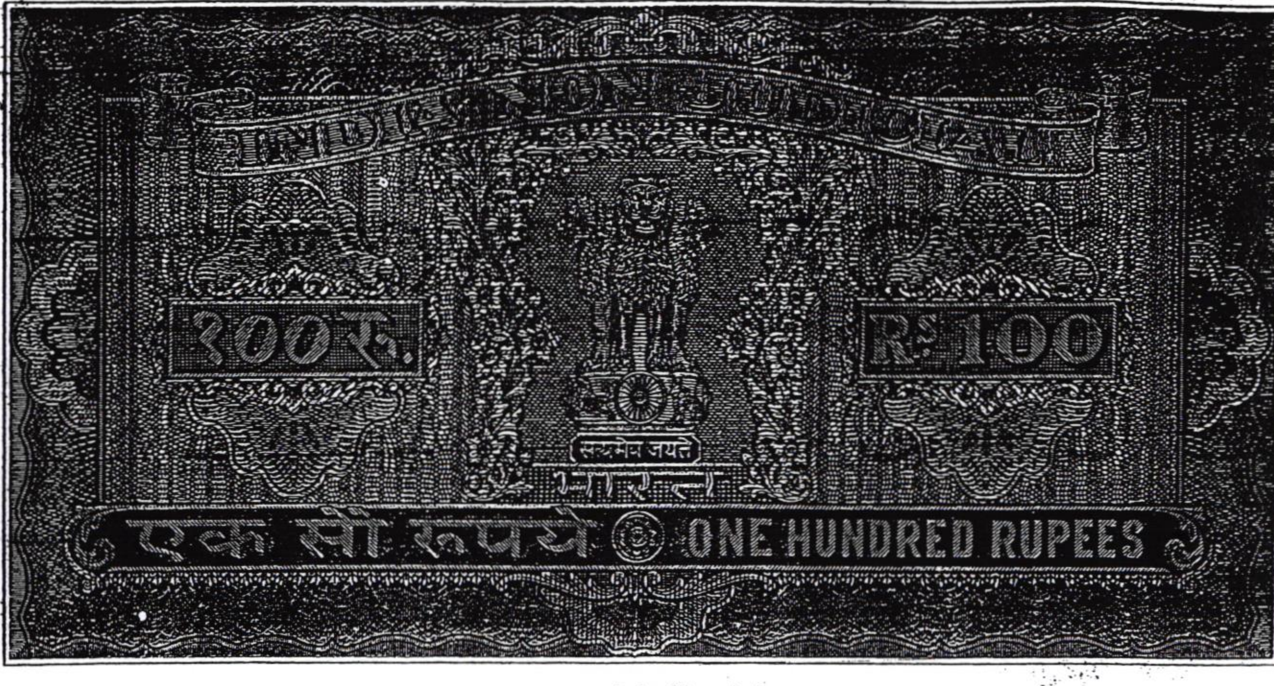

8. यह कि, विक्रीत भूमि के स्वत्व एवं अधिकारो बाबद किसी ने कोई दावा या विवाद आदि किया तो उसका समस्त दायित्व व व्यय विक्रेता द्वारा वहन किया जावेगा तथा इस कारण से विक्रेता के द्वारा क्रेता को कोई क्षति न होने दी जावेगी।

9. यह कि, विक्रीत भूमि के इस व्यवहार से धारा 165(6), 7-क व 7-ख मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 का तथा मध्य प्रदेश कृषि जोतो की अधिकतम सीमा अधिनियम 1960 का या उसके किसी भी प्रावधानो का उल्लंघन नहीं होता है।

10. यह कि, इस विलेख मे विक्रेता शब्द का उल्लेख किया गया है, जिससे आशय विक्रेता स्वयं व उनके वैध उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, असाईनीज आदि से भी है। तथा क्रेता शब्द से आशय उनसे समय समय पर स्वत्व ग्रहण करने वालो से है।

11. यह कि, इस विलेख मे कांटे व जोड़े गये अंश क्रमांक 1 से लगायत क्रमांक .... तक के विक्रेता द्वारा प्रमाणित किये जाते है।

25535

अहमद खाँन बेलिम
स्टाम्प वेन्डर
... कार्ट इन्दौर

महावीर

उपरोक्त निष्पादक/धारक/साक्षिका ... के प्रमुख
श्री ... मेरे समक्ष ता. 17 FEB 1998
199... को लिख ...

उप-पंजीयक इन्दौर

दारासिंह बापूसिंह सिसोदिया

बन्सी लाल

100Rs.

// 6 //

यह विक्रय पत्र विक्रेता ने स्वेच्छा से क्रेता के पक्ष में तथा हित में निष्पादित कर दिया है । तथा इस विलेख को पढ़कर सुनकर, समझकर हस्ताक्षर किये, ताकि प्रमाण रहे ।

इति,

दिनांक :- 17/2/98

इन्दौर

साक्षीगण :- दाहिना रूप

1

नाम : दारासिंह बापूसिंह

पता : भवानीखेड़ा

2.

बन्सीलाल

नाम : बंसीलाल पिता किशनलाल

पता : 166 रमानंद नगर इन्दौर

विक्रेता

महावीर

बृजलाल

जगरूपसिंह

मोहनलाल

रामलाल

प्रारूपकर्ता :- रामपाल

** महेश [illegible] **

एडवोकेट, इन्दौर

Д3536

50 Rs.

पचास रुपये

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA

५०रु.

FIFTY RUPEES

50RS

महावीर

बृजलाल

जगरूप सिंह

मोहनलाल

रामलाल

रामपाल

17 FEB 1998

पंजीयक, इन्दौर (म.प्र.)

धारा 30 (i) के अधीन

6550

पंजीयक, इन्दौर (म.प्र.)

धारा 30 (...) के अधीन